NEXT IAS

# दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

**समय:** 45 मिनट

**दिनाँक:** 11-01-2025

## विषय सूची


केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण के लिए राज्यों को ₹1.73 लाख करोड़ जारी किए

चीन की मेगा-बाँध परियोजना के निहितार्थ

समलैंगिक विवाह: उच्चतम न्यायलय ने निर्णय की समीक्षा अस्वीकृत की

भोजन का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ संघर्ष

कैलिफोर्निया में वनाग्नि

भारत में जैविक खेती में वृद्धि (Growth in Organic Farming Sector of India)

कीटनाशक विषाक्तता और विनियमन (Pesticide Poisoning and Regulations)

**संक्षिप्त समाचार**

दक्षिण के शिल्पों को सम्मानित करने हेतु ष्ऐट होमष् के लिए राष्ट्रपति का निमंत्रण

इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)

सुचालक/प्रवाहकीय स्याही (Conductive Ink)

ब्लू फ्लैग प्रमाणन (Blue Flag Certification)

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

# केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण के लिए राज्यों को ₹1.73 लाख करोड़ जारी किए

## संदर्भ

- केंद्र ने पूँजीगतगत व्यय और वित्तीय कल्याण गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिए राज्य सरकारों को 1.73 लाख करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी किया।

## परिचय

- राज्यों को पूँजीगतगत व्यय में तीव्रता लाने तथा उनके विकास एवं कल्याण संबंधी व्ययों को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने के लिए इस माह अधिक राशि लौटाई जा रही है।
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है।

## कर हस्तांतरण क्या है?

- कर हस्तांतरण से तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य कर राजस्व के वितरण से है।
- **उद्देश्य:** राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना, राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना, और उन्हें अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जो करों के हस्तांतरण का फार्मूला निर्धारित करता है।
    - केंद्र सरकार कर (जैसे आयकर, GST, आदि) एकत्र करती है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसका एक भाग राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
- **प्रयुक्त फार्मूला:** राज्यों का भाग एक फार्मूले द्वारा तय किया जाता है जिसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक राज्य द्वारा अपना स्वयं का कर राजस्व एकत्रित करने का प्रयास करना है।
    - इस सूत्र में भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखा गया है।
- केंद्र, राज्यों को कुछ योजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है, जिन्हें केंद्र एवं राज्य संयुक्त रूप से वित्तपोषित करते हैं।

**केंद्र राज्य वित्त संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**

- अनुच्छेद 202 से 206 राज्यों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित हैं, जिसमें उनके बजट, व्यय, उधार और कराधान शक्तियों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
- अनुच्छेद 268 से 272 संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
- अनुच्छेद 280 में प्रत्येक पाँच वर्ष में (या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट) एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 282 केन्द्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है।

## राज्यों का वर्तमान हिस्सा

- **14वें वित्त आयोग की सिफारिशें:** इसने राज्यों को कर हस्तांतरण 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, तथा संसाधन की कमी का सामना करने वाले राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान का एक नया प्रावधान भी जोड़ा।
- एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को संशोधित किया है तथा इसे 42% से घटाकर 41% कर दिया है।
    - इस प्रकार, राज्यों को वर्तमान कर हस्तांतरण 2026 तक 41% रहेगा।

- 90:10 नियम अभी भी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों पर लागू है, यद्यपि वहाँ कोई विशेष दर्जा श्रेणी नहीं है।
- अन्य सभी राज्यों को 60:40 के अनुपात में केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिसमें 60% केंद्र सरकार का योगदान होता है और 40% राज्य का।

### राज्यों की चिंताएँ

- **अधिक धनराशि की माँग:** राज्यों का तर्क है कि उन्हें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित धनराशि से अधिक धनराशि प्राप्त होनी चाहिए।
  - राज्यों का तर्क है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पुलिस सेवाओं सहित उनकी ज़िम्मेदारियाँ अधिक हैं।
- **राज्यों के बीच असमानताएँ:** कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों का मानना है कि वे करों में जितना योगदान देते हैं, उससे कम राशि उन्हें केंद्र से मिलती है।
  - दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जा रहा है कि बेहतर प्रशासन वाले अधिक विकसित राज्यों को केंद्र द्वारा दंडित किया जा रहा है, ताकि खराब प्रशासन वाले राज्यों की सहायता की जा सके।
- **विभाज्य पूल संबंधी चिंताएँ:** कर कटौती और अधिभार, जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, केंद्र के कर राजस्व का 28% तक हो सकता है, जिससे राज्यों को राजस्व हानि होती है।
- **वित्त आयोग की आलोचना:** आलोचकों का मानना है कि वित्त आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका होती है, जिससे संभावित राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न होता है।

### आगे की राह

- **GST और सहकारी संघवाद:** केंद्र और राज्यों के मध्य सुचारु कर संग्रह और वितरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) ढाँचे को मजबूत करना, सभी क्षेत्रों के लिए एक निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करना।
- **बेहतर कर प्रशासन:** राज्य कर प्रशासन का आधुनिकीकरण और अनुपालन में सुधार।
- **राजकोषीय समानता:** राज्यों के मध्य आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का संतुलित हस्तांतरण सुनिश्चित करना, ताकि गरीब राज्यों को अधिक सहायता प्राप्त हो सके।
- **क्षमता निर्माण:** विकास के लिए वापस की गई धनराशि का बेहतर उपयोग करने के लिए राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और क्षमता को सुदृढ़ करना।

**Source:** TH

## चीन की मेगा-बाँध परियोजना के निहितार्थ

### संदर्भ

- चीन ने तिब्बत में **यारलुंग त्सांगपो (या जांगबो)** नदी पर **विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत** परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

### परिचय

- **60 गीगावाट** क्षमता वाली इस परियोजना को **चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2020)** में सम्मिलित किया गया था और इसे **2024 में सहमति** दी गई थी। बाँध तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के **मेडोग काउंटी में ग्रेट बेंड** पर बनाया जाएगा, जहाँ नदी यू-टर्न लेती है। 137 बिलियन डॉलर की इस जलविद्युत परियोजना से वार्षिक लगभग 300 बिलियन किलोवाट-घंटे विद्युत उत्पन्न होने की संभावना है - जो संभवतः **थ्री गॉर्जेस डैम से तीन गुना अधिक ऊर्जा** है।

- चीन ने पहले भी **श्री गॉर्जेस डैम (यांग्त्ज़ी) और जांगमु डैम (यारलुंग जांगबो)** जैसे महत्त्वपूर्ण बाँधों का निर्माण किया है।

- इस परियोजना में **भारत और भूटान मध्य रिपेरियन (नदी-तटवर्ती) देश** हैं, जबकि **बांग्लादेश निम्न रिपेरियन देश** है।
  - मुख्य नदी भूटान से होकर नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन देश का 96% क्षेत्र इस बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित है।

**यारलुंग त्सांगपो (ज़ंगबो) नदी**

- इसका उद्गम तिब्बत से होता है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग के नाम से जाना जाता है।
- असम में यह दिबांग एवं लोहित जैसी सहायक नदियों से मिलती है और इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
- इसके पश्चात् यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है।

## परियोजना का प्रभाव

- **जल विज्ञान संबंधी प्रभाव:** जल प्रवाह पैटर्न में परिवर्तन से मानसून के दौरान बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है तथा शुष्क मौसम में जल की कमी हो जाती है, जिससे भारत और बांग्लादेश जैसे निम्न घाटी क्षेत्र के देश प्रभावित होते हैं।
- **पारिस्थितिक जोखिम:** जलीय प्रजातियों एवं आर्द्रभूमि सहित जैव विविधता और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम ।
- **भूकंपीय और संरचनात्मक जोखिम:** ब्रह्मपुत्र बेसिन भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय है, जैसा कि **1950 के असम-तिब्बत** भूकंप से प्रमाणित होता है।
  - इस क्षेत्र में एक विशाल बाँध के निर्माण से संरचनात्मक विफलता के कारण बाँध के टूटने एवं बाढ़ जैसी आपदाएँ घटित हो सकती हैं।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** जल संसाधनों पर नियंत्रण से चीन एवं निचले तटवर्ती देशों (भारत, भूटान, बांग्लादेश) के मध्य तनाव बढ़ सकता है।
- **आपदा सुभेद्यता (Disaster Vulnerability): ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ़्लड** (GLOFs) का बढ़ता जोखिम, जैसा कि 2023 सिक्किम बाढ़ में देखा गया था।

### सहयोग के लिए समन्वय तंत्र

- सीमापार से संबंधित नदियों पर सहयोग के लिए एक व्यापक समझौता ज्ञापन तथा ब्रह्मपुत्र एवं सतलुज पर दो अलग-अलग समझौता ज्ञापन हैं।
  - प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीकरणीय ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन (MoU) 2023 में समाप्त हो गया।
  - इस व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 2013 में हस्ताक्षर किये गये थे और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है।
- **चीन और भारत** के मध्य जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए 2006 से **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ELM)** विद्यमान है, लेकिन दोनों के बीच व्यापक संधि का अभाव है।
- किसी भी तटवर्ती देश (चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश) ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1997)** पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

### आगे की राह

- **कूटनीतिक संवाद को सुदृढ़ करना:** पारदर्शी जल-बँटवारे समझौतों के लिए चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश के मध्य ।
- **संस्थागत तंत्र:** जल प्रवाह, बाँध संचालन एवं आपदा पूर्वानुमान पर डेटा साझा करने के लिए एक स्थायी सीमा पार नदी प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करना।
- **आपदा की तैयारी (Disaster Preparedness):** राहत प्रयासों के लिए साझा संसाधनों सहित आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना।

**Source:** TH

## समलैंगिक विवाह: उच्चतम न्यायलय ने निर्णय की समीक्षा अस्वीकृत किए

### संदर्भ

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की **पाँच न्यायाधीशों की पीठ** ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से मना करने वाले निर्णय की समीक्षा की माँग वाली याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया।

### पृष्ठभूमि

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में समलैंगिक जोड़ों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार करते हुए एक निर्णय दिया था एवं इस बात पर बल दिया था कि ऐसा निर्णय संसद द्वारा लिया जाना चाहिए, जो इस जटिल सामाजिक मुद्दे पर परिचर्चा और कानून बनाने के लिए बेहतर रूप से अनुकूल है।

### समलैंगिक विवाह

- यह दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच विवाह की प्रथा है। इसे विश्व के अधिकांश देशों में कानून, धर्म एवं रीति-रिवाजों के माध्यम से विनियमित किया गया है।
- भारत समलैंगिक जोड़ों के लिए पंजीकृत विवाह या नागरिक संघों को मान्यता नहीं देता है।
  - यद्यपि, भारत के उच्चतम न्यायालय के 2022 के निर्णय के अनुसार, **अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार)** के अंतर्गत समलैंगिक दंपत्ति लिव-इन दंपत्ति के रूप में समान अधिकार एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** यह उन दम्पतियों के लिए सिविल विवाह का प्रावधान करता है जो अपने निजी कानून के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते।

- हालाँकि, भारत के उच्चतम न्यायालय ने (2023 में) निर्णय सुनाया कि 1954 का विशेष विवाह अधिनियम (SMA) समलैंगिक विवाहों पर लागू नहीं होता है:
  - न्यायालय ने सर्वसम्मति से माना कि विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
  - न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में समलैंगिक विवाह को सम्मिलित करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता।
  - न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि समलैंगिक दंपत्ति नागरिक विवाह नहीं कर सकते, न ही गोद ले सकते हैं।

## भारत में समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क

- **समानता और गैर-भेदभाव:** अधिवक्ताओं का तर्क है कि समान-लिंग वाले दम्पत्तियों को विवाह के अधिकार से वंचित करना भेदभाव का एक रूप है, जो भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
  - समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से LGBTQIA+ व्यक्तियों की गरिमा एवं अधिकारों की पुष्टि होगी।
- **कानूनी और सामाजिक लाभ:** विवाह से अनेक कानूनी एवं सामाजिक लाभ मिलते हैं, जिनमें उत्तराधिकार अधिकार, कर लाभ और सामाजिक सुरक्षा सम्मिलित हैं।
  - समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से यह सुनिश्चित होगा कि LGBTQIA+ दम्पतियों को इन लाभों तक पहुँच प्राप्त हो, जिससे उनका कल्याण एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **मानसिक स्वास्थ्य में सुधार:** समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से LGBTQIA+ व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्योंकि इससे उनपर सामाजिक आक्षेप कम होगा एवं सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय दृष्टांत:** कई देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, जिससे समानता के लिए वैश्विक उदाहरण कायम हुई है।
  - भारत, एक प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में, समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर सकता है।

**समलैंगिक विवाह पर वैश्विक स्थिति**

- **नीदरलैंड 2001** में नागरिक विवाह कानून में संशोधन करके **समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला प्रथम देश** था।
  - विदेश संबंध परिषद (Council of Foreign Relations) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सहित कम से कम 30 देशों में समलैंगिक विवाह वैध हैं।
- विभिन्न देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सबसे पहले समलैंगिक नागरिक संघों को मान्यता दी।
- उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है।

## भारत में समलैंगिक विवाह के विरुद्ध तर्क

- **सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएँ:** विरोधियों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों के विपरीत है।
  - उनका मानना है कि विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं के अनुसार विवाह एक पुरुष और एक महिला के मध्य होना चाहिए।

- **विधायी क्षेत्राधिकार:** भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना न्यायपालिका के नहीं, बल्कि विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
  - इसका तात्पर्य है कि कानून में कोई भी बदलाव संसद से आना चाहिए, जो लोगों की सहमति को दर्शाता हो।
- **सामाजिक तत्परता:** कुछ लोगों का तर्क है कि भारतीय समाज अभी समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
  - उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है और समाज के रूढ़िवादी वर्गों से तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है।
- **वैकल्पिक कानूनी मान्यता:** कुछ लोगों का सुझाव है कि विवाह के स्थान पर, सिविल यूनियन या घरेलू साझेदारी, विवाह की पारंपरिक परिभाषा में परिवर्तन किए बिना, समलैंगिक दंपत्ति को कानूनी मान्यता एवं अधिकार प्रदान कर सकती है।

**भारत के उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका**

- यह एक **कानूनी उपाय (legal remedy)** है जो उस पक्ष के लिए उपलब्ध है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश को चुनौती देना चाहता है।
- इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत दायर किया जाता है, जो उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - हालाँकि यह शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों (**अनुच्छेद 145 के अंतर्गत**) के साथ-साथ संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है।
- **दाखिल करने के आधार(Grounds for Filing):**
  - रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि;
  - नई एवं महत्त्वपूर्ण जानकारी की खोज;
  - कोई अन्य पर्याप्त कारण।
- **कौन दाखिल कर सकता है:** किसी भी व्यक्ति जो किसी निर्णय से व्यथित है, वह समीक्षा याचिका दाखिल कर सकता है, न कि केवल मामले के पक्षकार।
- **समय सीमा:** समीक्षा के लिए माँगे गए निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिए।
- **प्रक्रिया:** समीक्षा याचिकाओं पर हमेशा उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है जिसने मूल निर्णय दिया था।
  - यदि मूल पीठ के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक का उपयोग करके उन्हें प्रतिस्थापित करेंगे।
- **परिणाम:** उच्चतम न्यायालय समीक्षा याचिका को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
  - यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यायालय अपने मूल निर्णय या आदेश को संशोधित, प्रत्यादिष्ट (Overrule) या पुष्टि कर सकता है।

## समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के निहितार्थ

- इसका तात्पर्य है कि भारत में समलैंगिक दंपत्ति को उनके संबंधों के लिए कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी।
- न्यायलय का निर्णय समलैंगिक दंपत्ति के अधिकारों एवं मान्यता को संबोधित करने के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- तब तक, LGBTQIA+ समुदाय सरकार की नीति एवं विधायी ज्ञान पर निर्भर रहेगा।

Source: TH

# भोजन का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ संघर्ष

## संदर्भ

- भारत में भोजन के अधिकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की अकुशलता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवश्यक खाद्यान्नों तक न्यायसंगत पहुँच में बाधा उत्पन्न हो रही है।

## भारत में खाद्य असुरक्षा

- वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2024 में 127 देशों में भारत ने 105वाँ स्थान प्राप्त किया है, जो इसे भूख के स्तर के लिए "गंभीर" श्रेणी में रखता है।
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 224 मिलियन लोगों ने 2021-2022 में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया।

**भोजन के अधिकार की मान्यता**

- भोजन के अधिकार को मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) में मान्यता दी गई है।
- भारत में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में भोजन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।

## PDS प्रणाली क्या है?

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत में एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो गरीबों को रियायती मूल्यों पर भोजन और अन्य वस्तुएँ वितरित करती है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त उत्तरदायित्व है।
- केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्यों को आवंटन करती है।
- राज्य सरकारें बुनियादी स्तर पर इस प्रणाली का प्रबंधन करती हैं, जिसमें राज्य के अंदर खाद्यान्न का आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान और राशन कार्ड जारी करना शामिल है।

## PDS प्रणाली की चुनौतियाँ

- **खाद्यान्न का दुरुपयोग:** खाद्यान्न का एक बड़ा भाग परिवहन के दौरान लीक हो जाता है या कालाबाजारी में संलिप्त हो जाता है।
- **बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण बहिष्करण:** कई व्यक्ति मासिक राशन प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आधार-आधारित सत्यापन के दौरान बायोमेट्रिक मिलान न होने के कारण उनके नाम PDS रोल से हटा दिए जाते हैं।
- उचित मूल्य की दुकानों (FPS) में भ्रष्टाचार, जैसे खाद्यान्नों का कम वजन करना, घटिया गुणवत्ता वाले सामान बेचना, या अधिक कीमत वसूलना, प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
- अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण खाद्यान्न खराब हो जाता है और नष्ट हो जाता है।

## सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयास

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:** भारत की दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया।
  - 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या का कवरेज सुनिश्चित करता है।

- **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 जारी किया गया।
    - इसमें केन्द्र और राज्यों के लिए जिम्मेदारियाँ तय की गईं तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई।
- **डिजिटल राशन कार्ड:** डिजिटल राशन कार्ड और आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरूआत का उद्देश्य नकली और डुप्लिकेट राशन कार्डों को समाप्त करना है।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):** कुछ क्षेत्रों में DBT लागू किया गया है, जहाँ खाद्यान्न प्रदान करने के बजाय लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्षतः धन हस्तांतरित किया जाता है।
- **संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण:** पारदर्शिता में सुधार, लीकेज को न्यूनतम करने तथा वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए PDS प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निगरानी:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों के गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

### आगे की राह

- **बुनियादी ढाँचे का विस्तार:** परिचालन के बढ़ते पैमाने को समर्थन देने के लिए भंडारण और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- **तकनीकी एकीकरण:** वास्तविक समय पर नज़र रखने और अकुशलताओं को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ब्लॉकचेन का लाभ उठाएँ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितधारकों को जवाबदेह बनाने तथा भ्रष्टाचार और लीकेज जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा एवं लोक शिकायत निवारण तंत्र को लागू करना।

**Source:** TH

## कैलिफोर्निया में वनाग्नि

### समाचार में

- अमेरिका ने लॉस एंजिल्स में आपातकाल घोषित कर दिया है क्योंकि वनाग्नि लगभग 3,000 एकड़ तक फैल गई है।

### वनाग्नि क्या है?

- वनाग्नि एक अनियोजित अग्नि है जो किसी प्राकृतिक क्षेत्र जैसे जंगल, घास के मैदान या मैदान में जलती है।
- वनाग्नि प्राकृतिक घटनाओं, जिसमें वज्रपात, ज्वालामुखी विस्फोट आदि सम्मिलित हैं, तथा मानवीय गतिविधियों, जिसमें बिना देखरेख के जलाए गए अलाव, फेंकी गई सिगरेटें, आगजनी, स्थानांतरित खेती करना सम्मिलित है, दोनों के कारण लगती है।

### वनाग्नि के कारक

- **मानवजनित गतिविधियाँ:** वन क्षेत्रों के निकट बढ़ता विकास, जिसे वन्यभूमि-शहरी इंटरफेस (WUI) के रूप में भी जाना जाता है, मानवीय गतिविधियों से अग्नि लगने के खतरे को बढ़ाता है। लापरवाहीपूर्ण कार्य, जैसे कि अवैध कैम्प फायर या अलाव जलाना या शुष्क परिस्थितियों के दौरान आतिशबाजी का उपयोग करना।
    - इसके अतिरिक्त, वनों की हानि से प्राकृतिक अग्नि अवरोध कम हो जाते हैं और अग्नि का खतरा बढ़ जाता है।

- **शुष्क शीतकाल:** दक्षिणी कैलिफोर्निया में अक्टूबर के बाद से नगण्य वर्षा होती है, जिसके कारण वनस्पति अत्यधिक शुष्क हो जाती है तथा जलने का खतरा रहता है।
- **सांता एना पवन:** इस मौसम में कैलिफोर्निया में ये सामान्य हैं, लेकिन इस वर्ष ये असामान्य रूप से तेज़ हैं।
    - इस प्रकार, जब शुष्क परिस्थितियों में आग लगी, तो तीव्र वायु के कारण लपटें बड़ी हो गईं और तीव्रता से फैलने लगीं।
- **जलवायु परिवर्तन:** लंबे और अधिक तीव्र शुष्क मौसम से नमी की कमी के कारण वनस्पति पर तनाव बढ़ता है, जिससे अग्नि का खतरा बढ़ जाता है।

## वनाग्नि का प्रभाव

- **विषैले प्रदूषक:** जंगल की अग्नि के धुएँ में PM2.5, NO2, ओजोन और सुगंधित हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक प्रदूषक होते हैं।
    - ये प्रदूषक विशेष रूप से कमजोर जनसंख्या में श्वसन और हृदय संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन की तीव्रता:** वनाग्नि से बड़ी मात्रा में CO2 और मीथेन उत्सर्जित होती है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान करती है।
- **सामाजिक एवं आर्थिक क्षति:** संपत्ति, बुनियादी ढाँचे और व्यवसायों का विनाश। वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों को प्रायः अपना घर और आजीविका खोने के कारण वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **मृदा एवं भूमि क्षरण:** मृदा जीवों का विनाश एवं कार्बनिक पदार्थों की हानि।
    - मृदा अपरदन में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप उपजाऊ भूमि की हानि हो रही है।

## आगे की राह

- **उन्नत निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** वास्तविक समय में आग का शीघ्र पता लगाने और निगरानी में सुधार के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और GIS उपकरणों का विस्तार करना।
    - **उदाहरण:** भारतीय वन सर्वेक्षण ने वन अग्नि नामक एक पोर्टल विकसित किया है जो वन अग्नि पर चेतावनी और वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है।
- **वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझाकरण:** वनाग्नि की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया में डेटा, अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
    - अग्नि प्रबंधन में समन्वित प्रयासों के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी बनाना।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक तापमान को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना, जो आग के मौसम को लम्बा करने में योगदान करते हैं।
    - वन्य आग के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने के लिए वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण जैसी कार्बन अवशोषण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।

**भारत में वन अग्नि**

- भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 से 60,000 वन अग्नि घटनाएँ होती हैं, विशेषकर शुष्क मौसम (मार्च से जून) के दौरान।
- आग मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है।
- शुष्क पर्णपाती वन भयंकर आग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं।
    - सदाबहार, अर्ध-सदाबहार और पर्वतीय शीतोष्ण वन अग्नि लगने की संभावना कम होती है।

- **अग्नि-प्रवण वन क्षेत्र:** भारत का 36% से अधिक वन क्षेत्र प्रायः अग्नि की चपेट में रहता है।
  - 4% वन क्षेत्र अत्यधिक अग्नि प्रवण है, तथा 6% क्षेत्र अत्यधिक आग प्रवण है।
  - भारत के 54.40% वन कभी-कभी आग की चपेट में आ जाते हैं।

Source: IE

## भारत में जैविक खेती में वृद्धि

### संदर्भ

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि आगामी तीन वर्षों में भारत का जैविक निर्यात 20,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना है।

### परिचय

- **अग्रणी निर्यातक:** जैविक खेती क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में सुदृढ़ वृद्धि देखी गई है, तथा भारत जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी निर्यातकों में से एक के रूप में उभरा है।
- **जैविक निर्यात बाजार:** वर्तमान में भारत का जैविक उत्पाद निर्यात 5,000-6,000 करोड़ रुपये है।
  - 2028 तक भारत 20,000 करोड़ रुपये का निर्यात का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, जो वर्तमान स्तर से लगभग 3-3.5 गुना अधिक है।
  - प्रमुख निर्यात वस्तुओं में जैविक अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी एवं ताजा उपज सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों में इनकी बहुत माँग है।

### जैविक खेती (Organic Farming)

- जैविक खेती, कृषि की एक ऐसी विधि है जिसमें सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है।
- यह मृदा के स्वास्थ्य एवं जैव विविधता को बनाए रखने के लिए खाद, फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा इनपुट का उपयोग करने पर केंद्रित है।
- इसका लक्ष्य पर्यावरण की दृष्टि से सतत तरीके से भोजन का उत्पादन करना, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।

### भारत में जैविक खेती

- मार्च 2024 तक, भारत में 1,764,677.15 हेक्टेयर जैविक खेती की भूमि है, जिसमें से 3,627,115.82 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित किया जा रहा है।
- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स (IFOAM) सांख्यिकी 2022 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रमाणित क्षेत्र के मामले में **भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान** पर है।
  - **मध्य प्रदेश** में जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके पश्चात् महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है।
- **सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य** है, जिसने लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों को लागू किया है।
- **जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या** के मामले में **भारत विश्व स्तर पर प्रथम स्थान** पर है।

### भारत में जैविक खेती के विकास को समर्थन देने वाले कारक

- **स्वास्थ्य जागरूकता:** स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताओं के कारण उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक, रसायन मुक्त भोजन की माँग में वृद्धि कर रहे हैं।

- **पर्यावरणीय लाभ:** जैविक खेती मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, प्रदूषण को कम करती है और जल का संरक्षण करती है, जो सतत कृषि पद्धतियों के साथ संरेखित है।
- **सरकारी सहायता:** सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जैविक प्रमाणन योजनाओं जैसी विभिन्न पहल किसानों को जैविक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- **वैश्विक बाजार की माँग:** जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक माँग भारतीय किसानों के लिए निर्यात के अवसर उत्पन्न करती है।
- **सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाएँ:** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सतत् खेती की परंपरा है, जो स्वाभाविक रूप से जैविक तरीकों का समर्थन करती है।
- **जलवायु परिवर्तन लचीलापन:** जैविक खेती को पारंपरिक कृषि के लिए अधिक लचीले विकल्प के रूप में देखा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है।

## चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** जैविक खेती में परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं जैविक बीज और उर्वरक जैसे इनपुट में निवेश की आवश्यकता होती है, जो महंगा हो सकता है।
- **ज्ञान और कौशल अंतराल:** कई किसानों के पास जैविक खेती तकनीकों में पर्याप्त ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी है, जो अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **इनपुट तक सीमित पहुँच:** जैविक इनपुट जैसे जैव-कीटनाशक एवं उर्वरक सामान्यतः दुर्लभ या महंगे होते हैं।
- **प्रमाणन संबंधी मुद्दे:** जैविक प्रमाणन प्राप्त करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जिससे छोटे पैमाने के किसानों के लिए बाजार तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **कम पैदावार:** जैविक खेती के परिणामस्वरूप सामान्यतः शुरुआत में फसल की उपज कम होती है, जो किसानों की आय को प्रभावित कर सकती है।
- **बाजार की माँग और बुनियादी ढांचा:** जैविक उत्पादों के लिए सीमित बुनियादी ढांचा एवं बाजार चैनल किसानों के लिए लाभप्रदता और पहुँच को कम करते हैं।
- **कीट और रोग प्रबंधन:** रसायनों के बिना कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान।

## भारत में जैविक प्रमाणीकरण प्रणालियाँ

- **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP):** यह निर्यात बाजार के विकास के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है।
    - यह एक तृतीय पक्ष प्रमाणन कार्यक्रम है, जिसमें जैविक उत्पादों के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार एवं निर्यात आवश्यकताओं जैसे सभी चरणों में उत्पादन और संचालन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है।
- **सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India):** संचालन में हितधारक (किसान/उत्पादक सहित) एक-दूसरे के उत्पादन प्रथाओं का आकलन, निरीक्षण एवं सत्यापन करके और सामूहिक रूप से उत्पाद को जैविक घोषित करके PGS-India प्रमाणन के संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा आवश्यक निर्णय लेने में सम्मिलित होते हैं।
    - यह घरेलू बाजार की माँग को पूरा करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है।
- खाद्य सुरक्षा विनियमन ने जैविक भारत लोगो के अंतर्गत घरेलू बाजार में विक्रय किए जाने के लिए जैविक उत्पादों के लिए NPOP or PGS के अंतर्गत प्रमाणित होना अनिवार्य कर दिया है।

## जैविक खेती के लिए सरकार की पहल

- **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):** इस योजना में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तथा कटाई के बाद के प्रबंधन तक सभी प्रकार की सहायता देने पर बल दिया गया है।
    - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस योजना के अभिन्न अंग हैं।
- **उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER):** इस योजना को विशेष रूप से जैविक खेती में लगे किसानों को सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन (NMOF):** इसका उद्देश्य जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रमाणन प्रक्रियाओं का समर्थन करना है।
- **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन:** ऐसे कार्यक्रम जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खाद, कम्पोस्ट और अन्य स्थायी माध्यमों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
- **बाजार संपर्कों के लिए समर्थन:** जैविक खेती निर्यात संवर्धन कार्यक्रम (OFEP) जैसी पहल किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर जैविक उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाती है।

## आगे की राह

- **ब्रांडिंग:** सरकार वैश्विक बाजारों में दृश्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एकीकृत ब्रांड के अंतर्गत भारत के जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे सकती है।
- **घरेलू खपत में वृद्धि:** जैविक उत्पादों की घरेलू खपत को प्रोत्साहित करने से किसानों को विविधता लाने और सतत् खेती के माध्यमों को अपनाने में सहायता मिलेगी।
- इस क्षेत्र के विकास से किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने, रोजगार उत्पन्न होने और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है, जबकि जैविक कृषि के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में देश की प्रतिष्ठा सुदृढ़ होगी।

**Source:** ET

# कीटनाशक विषाक्तता और विनियमन (Pesticide Poisoning and Regulations)

## संदर्भ

- एक नए अध्ययन से पता चला है कि खाद्य फसलों के परागण के लिए महत्त्वपूर्ण 70 प्रतिशत से अधिक जंगली मधुमक्खी प्रजातियों को मृदा में वर्तमान कीटनाशक अवशेषों के कारण खतरनाक जोख़िमों का सामना करना पड़ रहा है।

## कीटनाशक क्या है?

- कीटनाशक पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग कीटों को रोकने, नष्ट करने, पीछे हटाने या कम करने के लिए किया जाता है।
- कीटों में कीड़े, कृंतक, कवक, खरपतवार और अन्य जीव सम्मिलित हो सकते हैं जो कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- कीटनाशकों का उपयोग सामान्यतः कृषि में फसलों को कीटों से बचाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- कीटनाशकों की मुख्य श्रेणियों में सम्मिलित हैं:
    - **कीटनाशक:** कीटों को नियंत्रित करने या मारने के लिए डिज़ाइन किए गए।

- **शाकनाशी:** अवांछित पौधों (खरपतवार) को नियंत्रित करने या समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- **कवकनाशी:** कवक को लक्षित करते हैं और कवक रोगों को रोकते या नियंत्रित करते हैं।
- **कृंतकनाशक:** चूहों एवं चूहों जैसे कृन्तकों को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए।
- **जीवाणुनाशक और विषाणुनाशक:** क्रमशः बैक्टीरिया एवं वायरस को लक्षित करते हैं।
- **निमेटोसाइड:** निमेटोड को नियंत्रित करते हैं, जो सूक्ष्म कीट होते हैं जो पौधों की जड़ों को हानि पहुँचा सकते हैं।

## कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित चिंताएँ

- **स्वास्थ्य जोखिम:** कीटनाशकों के संपर्क में आने से किसानों और कृषि क्षेत्रों के नज़दीक रहने वाले समुदायों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।
  - अल्पकालिक प्रभावों में मतली, चक्कर आना एवं त्वचा में जलन सम्मिलित हो सकती है, जबकि दीर्घकालिक संपर्क से श्वसन संबंधी समस्याओं और कुछ प्रकार के कैंसर सहित पुरानी स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** कीटनाशकों से उपचारित खेतों से निकलने वाला अपवाह जल स्रोतों को दूषित करता है, जिससे जल प्रदूषण होता है।
- **भोजन में अवशेष:** कीटनाशकों के अवशेष फसलों पर रह जाते हैं और खाद्य आपूर्ति में अपना मार्ग खोज लेते हैं।
- **गैर-लक्ष्यित जीवों पर प्रभाव:** कीटनाशकों के उपयोग से लाभकारी कीटों, परागणकों एवं प्राकृतिक शिकारियों को हानि पहुँच सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि स्थिरता बाधित हो सकती है।
- **प्रतिरोधी कीट:** समय के साथ, कीट कुछ कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं, जिससे वे कम प्रभावी हो जाते हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि होती है, जो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में और योगदान देता है।

## भारत में कीटनाशकों का विनियमन

- **कीटनाशक अधिनियम, 1968:** कीटनाशकों को कृषि मंत्रालय द्वारा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB & RC) के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
  - CIB & RC कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, परिवहन, भंडारण को विनियमित करते हैं एवं तदनुसार कीटनाशकों को CIB & RC द्वारा पंजीकृत/प्रतिबंधित (banned)/निषिद्ध (restricted) किया जाता है।
- FSSAI कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (WHO एवं संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक निर्धारण संस्था) और यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) (**कीटनाशक 0.01 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से लेकर जड़ी-बूटियों में 0.1 मिलीग्राम/किग्रा)** के अद्यतन मानकों के अनुरूप है।
- **अनुपम वर्मा समिति:** इसका गठन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 66 कीटनाशकों की समीक्षा के लिए किया गया था, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित/निषिद्ध हैं, लेकिन भारत में उपयोग के लिए पंजीकृत हैं।

## आगे की राह

- **जैविक खेती:** जैविक खेती में कीटनाशकों के उपयोग से बचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पाद हानिकारक रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं तथा उनमें आवश्यक पोषक तत्त्वों का स्तर अधिक होता है।
  - सरकार जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जो सामान्यतः रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं।
- FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है।
- **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) को बढ़ावा देना:** IPM में पर्यावरणीय रूप से सतत् तरीके से कीटों का प्रबंधन करने के लिए जैविक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं रासायनिक नियंत्रण विधियों का संयोजन सम्मिलित है।

## निष्कर्ष

- कीटनाशक आधुनिक कृषि में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण बने हुए हैं, जो खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में योगदान करते हैं।
- हालांकि, पर्यावरणीय स्थिरता एवं मानव स्वास्थ्य के साथ कृषि उत्पादकता को संतुलित करने के लिए उनके उपयोग को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।

**Source:** DTE

# संक्षिप्त समाचार

## दक्षिण के शिल्पों को सम्मानित करने हेतु "ऐट होम" के लिए राष्ट्रपति का निमंत्रण

### संदर्भ

- 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रपति भवन के पुनर्निर्मित "AT-HOME (ऐट होम)" रिसेप्शन में पाँच दक्षिणी राज्यों से भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले हस्तनिर्मित वस्तुओं के एक क्यूरेटेड बॉक्स को सम्मिलित करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है।

### परिचय

- निमंत्रण बॉक्स में वर्तमान सभी शिल्प उत्पाद दक्षिणी राज्यों में बने हैं, उन पर GI(भौगोलिक संकेतक) टैग हैं और वे **"एक जिला एक उत्पाद"** योजना से लिए गए हैं।
- निमंत्रण के तत्वों में सम्मिलित हैं:
  - बांस की बुनाई से बना एक बक्सा, जिस पर **निम्मलकुंटा कारीगरों** द्वारा कलमकारी चित्रकारी की गई है, जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने वाली एक प्राचीन कला है।
  - एक **इकात-पोचमपल्ली आवरण** (इकात में एक जटिल रंगाई प्रक्रिया सम्मिलित होती है, जिसमें बुनाई से पहले धागे को प्रतिरोधी रंग से रंगा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ज्यामितीय पैटर्न बनते हैं)।
  - **मैसूर गंजिफा कला** को दर्शाता एक **फ्रिज चुंबक**, जिसमें **दशावतार (विष्णु के दस अवतार)** से जुड़े पौराणिक विषयों के साथ जटिल हाथ से चित्रकारी सम्मिलित है।
  - **तमिलनाडु से कांजीवरम रेशम** का एक हस्तनिर्मित थैला।
  - **आंध्र प्रदेश की एटिकोपका गुड़िया,** जो सदियों पुरानी लकड़ी के लाह के बर्तनों से बनाई गई है, साथ ही केरल के कलाकारों द्वारा बुने गए **पाइन के पत्तों से बने बुकमार्क** भी।

**Source:** TH

## इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया

### समाचार में

- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल)** ने अपना प्रथम सिल्वर नोटिस जारी किया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से लायी गयी सम्पत्तियों का पता लगाना और उन्हें बरामद करना है।
  - इस पायलट परियोजना में भारत सहित 52 देश शामिल हैं।

### सिल्वर नोटिस क्या है?

- **परिचय:** सिल्वर नोटिस इंटरपोल की **कलर-कोडेड अलर्ट प्रणाली** का नवीनतम संस्करण है, जिसे सदस्य देशों को आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन संपत्तियों में सम्मिलित हो सकते हैं:
  - संपत्तियाँ
  - वाहन
  - वित्तीय खाते
  - व्यवसाय
- यह नोटिस आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जैसे:
  - धोखाधड़ी
  - भ्रष्टाचार
  - मादक पदार्थों की तस्करी
  - पर्यावरणीय अपराध
- पायलट चरण नवंबर 2025 तक चलेगा।

### कार्यप्रणाली?

- **सूचना का अनुरोध:** सदस्य देश आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों के बारे में जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।

- **पहचान और कार्रवाई:** नोटिस संपत्तियों का पता लगाने में सहायता करता है, जिससे राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जब्ती या जब्ती जैसे आगे के कानूनी उपाय संभव हो पाते हैं।
- **सामान्य सचिवालय समीक्षा:** जारी करने से पहले, इंटरपोल सामान्य सचिवालय संगठनात्मक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक नोटिस की समीक्षा करता है।

## भारत की भूमिका और लाभ

- भारत, एक भागीदार के रूप में, महत्त्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होगा। भारत में भगोड़े आर्थिक अपराधियों एवं कर अपवंचन करने वाले देशों में स्थानांतरित किए गए और अलेखांकित काले धन की समस्या वर्षों से बनी हुई है।
- यह वित्तीय अपराधों से निपटने एवं अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में भारत के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

## इंटरपोल नोटिस का परिचय

- **अंतर्राष्ट्रीय सूचना साझाकरण:** इंटरपोल नोटिस अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट या सहयोग के लिए अनुरोध हैं जो इसके 195 सदस्य देशों में पुलिस को महत्त्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी साझा करने में सक्षम बनाते हैं।
- **प्रकार:** नोटिस के आठ अलग-अलग प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है।

- **जारीकर्ता:** इंटरपोल महासचिवालय।
- **अनुरोधकर्ता:** सदस्य देशों के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो।
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।
  - संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों को लागू करने के लिए)।

**Source: BS**

## भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)

### समाचार में

- सोने के आयात के आँकड़ों में विसंगतियों के बाद सरकार ने सटीक डेटा प्रकाशित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
    - डेटा में त्रुटियाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रणाली से डेटा ट्रांसमिशन तंत्र के आइसगेट प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट होने के कारण हुईं।

### ICEGATE (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे)

- यह बंदरगाहों, हवाई अड्डों एवं कंटेनर डिपो से व्यापार डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के लिए एक एकीकृत मंच है।
- यह भारत भर में 500 से अधिक स्थानों से निर्यात-आयात (EXIM) डेटा एकत्र करता है।
    - यह वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) को व्यापार डेटा का वास्तविक समय पर प्रसारण सुनिश्चित करता है।
- **ICEGATE के कार्य:** सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों से व्यापार डेटा एकत्र करना।
    - सटीक व्यापार सांख्यिकी के लिए DGCIS को समन्वित एवं सटीक डेटा प्रेषित करता है।
    - SEZ और गैर-SEZ दोनों से व्यापार डेटा को एकीकृत करके दोहराव को रोकता है।

**Source: PIB**

## सुचालक/प्रवाहकीय स्याही (Conductive Ink)

### समाचार में

- सिल्वर नैनोवायर-आधारित **सुचालक/प्रवाहकीय स्याही प्रौद्योगिकी** की स्वदेशी जानकारी को दो आशाजनक भारतीय स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया।

### परिचय

- यह हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से सुचालक/प्रवाहकीय स्याही एवं चिपकने वाले पदार्थों के उत्पादन में।
- संभावना है कि सिल्वर नैनोवायर-आधारित प्रवाहकीय/सुचालक स्याही एवं चिपकने (adhesives) वाले पदार्थों का वैश्विक बाजार 2032 तक 16.87 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।

### प्रवाहकीय/सुचालक स्याही का परिचय

- प्रवाहकीय/सुचालक स्याही एक विशेष प्रकार का पेंट है जिसमें चांदी या कार्बन कण होते हैं, जो इसे विद्युत का संचालन करने में सक्षम बनाते हैं।
- तांबे के तारों से बने पारंपरिक सर्किटों के विपरीत, यह स्याही सर्किटों को विभिन्न सतहों पर सीधे खींचने में सक्षम बनाती है।
- प्रमुख अनुप्रयोग:
    - मुद्रित सर्किट बोर्ड (PCBs) पर सर्किट की मरम्मत एवं सुधार
    - लचीले(Flexible) इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फोल्डेबल स्क्रीन, की-बोर्ड एवं विंडशील्ड डिफ्रॉस्टर
    - RFID टैग, पहनने योग्य डिवाइस, सेंसर, डिस्प्ले एवं सौर पैनलों में उपयोग किया जाता है
    - इसमें स्पर्श-सक्षम सुविधाओं के साथ इंटरैक्टिव मार्केटिंग एवं साइनेज की क्षमता है।

**Source: PIB**

## ब्लू फ्लैग प्रमाणन(Blue Flag Certification)

### संदर्भ

- **केरल के कोझिकोड एवं कन्नूर** जिलों के **कप्पड़ और चाल** समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है।

### ब्लू फ्लैग प्रमाणन

- **प्रदानकर्ता:** डेनमार्क में पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (FEE) ने विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल - ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है।
- **कठोर मानदंड:** FEE उन समुद्र तट, मरीन एवं नौकायन संचालकों(boating operators) को पुरस्कार देता है जो 33 मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - सामान्यतः इन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी और शिक्षा सम्मिलित हैं।
  - ये मानक **कोपेनहेगन** स्थित **पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (FEE)** द्वारा 1985 में स्थापित किये गये थे।
- प्रमाणीकरण को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है, तथा स्थानों को अपना ब्लू फ्लैग दर्जा बनाए रखने के लिए मानदंडों को पूरा करना जारी रखना होता है।
- **ब्लू फ्लैग समुद्र तट:**
  - विश्व भर में 4000 से अधिक ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं, जिनमें से स्पेन 729 ब्लू फ्लैग स्थलों के साथ प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् ग्रीस का स्थान है।
  - भारत में ऐसे **13 समुद्र तट** हैं, **ओडिशा के कोणार्क तट** पर स्थित **चंद्रभागा समुद्र तट**, ब्लू फ्लैग प्रमाणन पाने वाला **एशिया का प्रथम समुद्र तट** है।
- **महत्त्व:**
  - सतत् पर्यटन को बढ़ावा देना,
  - पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना एवं मनोरंजन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
  - यह पर्यटकों को ऐसे गंतव्यों की पहचान करने में सहायता करता है जो पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हैं।

**Source:** TH

## भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

### समाचार में

- **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड(AWBI) एवं नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ**, हैदराबाद ने पशु देखभाल कानूनों और प्रक्रियाओं में पशु कल्याण स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

### भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

- इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत की गई थी।
- इसकी स्थापना **मानवतावादी रुक्मिणी देवी अरुंडेल** के नेतृत्व में की गई थी।

- **संरचना:** बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 संसद सदस्य (राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4) सम्मिलित हैं।
- **कार्यकाल:** सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- **कार्य:** यह पशु कल्याण कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है।
    - यह पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।
    - यह पशु कल्याण मुद्दों पर भारत सरकार को परामर्श देता है।

**Source :TH**

■■■■